बिहार सरकार
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय
(योजना एवं विकास विभाग)

का०आ०सं०– स्था०1/आ०2–18/2017 99 /पटना, दिनांक: 19/05/26

कार्यालय आदेश

श्री सुमंत कुमार चौधरी, निम्न वर्गीय लिपिक, जिला सांख्यिकी कार्यालय, रोहतास (सासाराम) के विरूद्ध बिना पूर्व अनुमति के मुख्यालय छोड़ना/कार्यालय से अनुपस्थित रहना, वरीय पदाधिकारी के आदेश का उल्लंघन करना एवं शराब सेवन कर आमलोगों के साथ मारपीट, गाली गलौज के आरोप में जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, रोहतास के पत्रांक–11/मु० दिनांक–10.06.2017 द्वारा समर्पित आरोप पत्र के आलोक में आरोप पत्र गठित करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 के तहत निदेशालय के का०आ०सं०–381 सहपठित ज्ञापांक–2573 दिनांक–22.11.2017 द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी। उक्त विभागीय कार्यवाही में अपर समाहर्त्ता, रोहतास को संचालन पदाधिकारी तथा जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, रोहतास को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया। निदेशालय के का०आ०सं०–380 सहपठित ज्ञापांक–2572 दिनांक–22.11.2017 द्वारा श्री सुमंत कुमार चौधरी को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9(2) (क) के तहत हिरासत में रहने की अवधि दिनांक–19.06.2016 से 25.06.2016 तक के लिए निलंबित किया गया।

श्री सुमंत कुमार चौधरी के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में अपर समाहर्त्ता–सह–संचालन पदाधिकारी, रोहतास (सासाराम) के पत्रांक–228/रा० दिनांक–13.02.2019 द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन में सभी आरोप प्रमाणित पाया गया।

उक्त के आलोक में निदेशालय के का०आ०सं०–305 सहपठित ज्ञापांक–2289 दिनांक–10.12.2019 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14 में किये गये प्रावधानों के तहत निम्नलिखित निर्णय लिया गया –

1. श्री सुमंत कुमार चौधरी के विरूद्ध निदेशालय के का०आ०सं०–305 सहपठित ज्ञापांक–2289 दिनांक–10.12.2019 द्वारा संचयात्मक प्रभाव से 02(दो) वेतनवृद्धि रोकने का दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया गया।
2. साथ ही उन्हें चेतावनी दी गयी कि भविष्य में अगर इस तरह के सदृष्य आरोप में आरोप सिद्ध होता है तो वे सेवा से बर्खास्त भी किये जा सकते हैं। इस संबंध में माननीय न्यायालय में चल रहे केस के फलाफल पर उपर्युक्त दण्ड पर पुर्नविचार भी किया जा सकता है।
3. मुफ्फसिल थाना गयाजी में दर्ज प्राथमिकी संख्या–267/2016 दिनांक–19.06.2016 में दायर न्यायालयवाद में माननीय न्यायालय के अंतिम आदेश के पश्चात निलंबन अवधि के विनियमन पर विचार किया जायेगा।

श्री सुमंत कुमार चौधरी, उच्च वर्गीय लिपिक, जिला सांख्यिकी कार्यालय, नवादा के विरूद्ध शराब सेवन के आरोप में दायर मुफ्फसिल थाना गयाजी प्राथमिकी सं०–267/16 दिनांक–19.06.2016 में माननीय न्यायाधीश ADJ-Cum-Exclusive, Spl Judge Excise Court No-1, Gaya Jee द्वारा दिनांक–04.07.2025 के अपने पारित न्यायादेश में श्री चौधरी को शराब सेवन के आरोप से बरी (दोषमुक्त) किया गया है। उक्त दायर न्यायालयवाद में माननीय न्यायाधीश श्री मनीष कुमार शाही, ADJ-cum-Exclusive, Spl. Judge Excise Court No.-1 Gayaji द्वारा दिनांक–04.07.2025 को पारित अंतिम आदेश का Operating Part निम्न है :–

10. After analyzing and scanning the evidences adduced on behalf of prosecution and the discussions made in forgoing paragraph, I find that only one witness has been examined in this case by the prosecution, who is not supported the prosecution case. Informant and other chargesheeted witnesses have also not

been examined by the prosecution. No any material evidence produced before the Court. So, prosecution has failed to prove the charge under section u/s 341, 323, 504 of I.P.C & 53(b) of Bihar Excise Act against accused Sumant Chaudhary due to lack of evidence.

11. Hence, it is hereby ORDERED that Accused Sumant Chaudhary is found and held not guilty for the offence committed u/s 341, 323, 504 of I.P.C. & 53(b) of Bihar Excise Act.

12. The accused Sumant Chaudhary is already on bail, he is therefore discharged from the liability of his bail bond filed in this case and accordingly the sureties are also discharged from his respective liabilities under the said bond.

13. Judgment is pronounced in the open Court. (पृ०280/प०)

अपने दोषमुक्त होने के आलोक में श्री चौधरी द्वारा निदेशालय में उनपर संचालित अनुशासनिक कार्रवाई में पारित का०आ०सं०–305 सहपठित ज्ञापांक–2289 दिनांक–10.12.2019 में संचयात्मक प्रभाव से 02(दो) वेतनवृद्धि रोकने का दण्ड तथा निलंबन अवधि के विनियमन किये जाने का अनुरोध किया है।

उल्लेखनीय है कि श्री चौधरी पर बिना पूर्व अनुमति मुख्यालय छोड़ना/कार्यालय से अनुपस्थित रहना, वरीय पदाधिकारी के आदेश उल्लंघन के आरोप पर उक्त न्यायालय आदेश में कोई टिप्पणी नहीं की गयी बल्कि सबसे गंभीर आरोप शराब सेवन से आरोप मुक्त किया गया है। ऐसी स्थिति में निदेशालय द्वारा पारित आदेश पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–28 के आलोक में पुनरीक्षण पर विचार करते हुए –

(1) श्री चौधरी पर बिना पूर्व अनुमति मुख्यालय छोड़ना/कार्यालय से अनुपस्थित रहना, वरीय पदाधिकारी के आदेश उल्लंघन के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14(I) के तहत् निन्दन का दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

(2) श्री चौधरी के निलंबन अवधि दिनांक–19.06.2016 से 25.06.2016 तक को कर्त्तव्य पर बितायी गयी अवधि मानते हुए शेष जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान करने का आदेश दिया जाता है।

(3) निदेशालय के का०आ०सं०–305 सहपठित ज्ञापांक–2289 दिनांक–10.12.2019 द्वारा संचायत्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि रोकने के दण्ड को विलोपित किया जाता है।

ह०/–
(रणजीत कुमार)
निदेशक

ज्ञापांकः– स्था०1/आ०2–18/2017 911 /पटना, दिनांकः 19/05/26

प्रतिलिपिः–सचिव के आप्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।

2. जिला पदाधिकारी, रोहतास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
3. जिला कोषागार पदाधिकारी, नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, रोहतास/नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को निदेशालय के वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
6. श्री सुमंत कुमार चौधरी, उच्च वर्गीय लिपिक, जिला सांख्यिकी कार्यालय, नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/5/26
निदेशक